



## बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 2539/अकादमी/संबद्धता/2017  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 15/06/17

**PRINCIPAL / DIRECTOR**  
**BAGULA MUKHI COLLEGE OF EDUCATION RUN BY MAA BAGULA MUKHI**  
**EDUCATION RESEARCH TRAINING AND DEVELOPMENT SOCIETY, PLOT**  
**NO-150/1, POST OFFICE-ISLAM NAGAR, VILLAGE-MUGALIYA KOT, CITY-**  
**BHOPAL, TEHSIL- HUZUR, DISTRICT:BHOPAL-462010, MADHYA**  
**PRADESH**

विषय:- बी0एड० सत्र 2017-18 की अरथाई संबद्धता.

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का पत्र क्रमांक: 183643 दिनांक: 17-04-2017.

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: 12-05-2017 को जारी थूची क्रमांक: 657

महोदय,

विद्या परिषद की स्वाई रामिति की बैठक दिनांक 30.05.2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिवियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदल्ल अधिकार में अवृमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की अरथाई संबद्धता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

1. बी0एड० (दो वर्षीय) 100 छात्र संख्या प्रथम वर्ष

शर्तों:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की अरथाई संबद्धता के लिये बियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिनियम क्रं.27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक 5,6 एवं 7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शारी विकाय की बैठकों का वियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. शिक्षकों की वियुक्ति विश्वविद्यालय के परिनियम क्रं. 28 के तहत पूर्ण कर उनकी सूची 01 जुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करवी होगी।
6. जिन संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मात्र वही किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व नाहाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
7. संबंधित नियामक संख्या व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले विरीकण में पाई गई कमियों की सूचना नियामक संख्या तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. जिन महाविद्यालय ने कालेज कोड 28 के तहत प्रावार्य/शिक्षकों की वियुक्ति नहीं की है तथा विधारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अरथाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
9. किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अवियमितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः विरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार,

मा.कुलसंघिव अकादमी

भोपाल, दिनांक 15/06/17

पु0क्रमांक 2540/अकादमी/संबद्धता/2017  
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, गान्धी भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
3. उपराजित उच्च शिक्षा विभाग न.ग्र, शारान मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
4. उपकुलसाचिव/गोपकीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
5. कुलपति/कुलसाचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।
6. घेहडाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

*[Signature]*  
महा.कुलसंघिव, अकादमी



नवीन संबद्धता  
सन् 2017-18



## बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक २४१७ /अकादमी/संबद्धता/2017  
प्रति,

भोपाल, दिनांक १३-६-२०१८

PRINCIPAL / DIRECTOR  
NRI VIDYADAYANI INSTITUTE OF SCIENCE MANAGEMENT AND  
TECHNOLOGY, PLOT/KHASARA NO: 504/2/11, PLOT NO.4, VILLAGE:  
KHAJURI KALAN, POST OFFICE: PIPLANI, CITY-BHOPAL TEHSIL: HUZUR,  
DISTRICT: BHOPAL - 462027, MADHYA PRADESH

विषय:- बी०ए०५० रुब्र 2017-18 की अरथाई संबद्धता।

राज्यालय अध्यापक शिक्षा परिषद का पत्र क्रमांक: 180206 दिनांक: 14-02-2017.

(1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर प्रदर्शित दिनांक: 12-05-2017 को जारी सूची क्रमांक: ५८६।

महोदय,

विद्या परिषद की ह्याई समिति की बैठक दिनांक 30.05.2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनप्रशन्ता आपके महाविद्यालय में संचालित विभिन्नक्रित पाठ्यक्रमों की अरथाई संबद्धता विभागित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

:-

1. बी०ए०५० (दो वर्षीय) ५० छात्र संख्या प्रथग वर्ष

शर्तों:-

- आगामी सन् 2018-19 की अस्थाई संबद्धता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
- विश्वविद्यालय के परिलियम ब्रं. 27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक 5, 6 एवं 7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक वार्ट एकाउंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
- शासी बिकाज की बैलों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
- शिक्षकों द्वारा नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिलियम ब्रं. 28 के तहत पूर्ण कर उनकी सूची ०१ जुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
- बिना संबद्धता के फिरी भी छात्र का प्रवेश गान्धी नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
- संबंधित विद्यालय संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दशाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय ह्याई करवाए जाने वाले नियमित विदेशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय भ्राता शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- जिव महाविद्यालय द्वे कालेज क्रोड २८ के तहत प्रावार्य/शिक्षाकों की नियुक्ति वहीं की है तथा नियमित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जना नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अरथाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
- फिरी भी रत्न पर विभी भी प्रकार की कर्जी/अविभागिता पाए जाने पर वह आदेश स्वतः विस्तृत माना जाएगा।

आदेशानुसार,

उप-कुलसंचिव अकादमी  
भोपाल, दिनांक १३-६-२०१८

पृ०क्रमांक २४१८ /अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

- आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सातपुड़ा भवन भोपाल।
- हीन्दी संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, गालस गढ़वा, इयामला हिल्स, भोपाल।
- उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंडलालय दलभ शहर भोपाल।
- उपकुलसंचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
- कुलपति/कुलसंचिव के निजी महाविद्यालय के गाड़यन से सूचनार्थ।
- वेबराई प्रगारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।

राहा-कुलसंचिव, अकादमी



# बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8-6-17

क्रमांक २४८०/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रति,

PRINCIPAL/DIRECTOR

MITTAL INSTITUTE OF EDUCATION,  
PLOT/KHASRA NO. 105/2/2/1, 107/2/2 & 105/1/2/2,  
PLOT NO. 105 & 107, VILLAGE: NAVIBAGH, P.O. KAROND, TEHSIL/TALUKA: HUZUR,  
CITY: BHOPAL DISTT: BHOPAL 462038, MADHYA PRADESH

दिवाय:- एम०एड० पाठ्यक्रम (नवीन) की रात्र 2017-18 हेतु अस्थाई संबद्धता ।

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधित पत्र क्रमांक: 184309 दिनांक: 26-04-2017.

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: 16-05-2017 को जारी रखी  
क्रमांक: ४४.

मठोदय,

विद्या परिषद की स्थाई संगिति की बैठक दिनांक 25.05.2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय  
अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरावृत्त आपके  
गहनविद्यालय में संचालित नियमानुकूल शर्तों के साथ प्रदान की जारी है।

:-

१. एम०एड० ५० छात्र रांच्या (एक यूनिट)

शर्तेः-

१. आगामी रात्र 2018-19 की संबद्धता की नियंत्रण के लिये नियमानुसार ऑवेन करना होगा।
२. विश्वविद्यालय के परिनियम फ्रं. २७ एवं २८ तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक ५,६ एवं ७ का पालन सुनिश्चित करना होगा।
३. महाविद्यालय का आय-क्षम्य पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यपित करवा वर प्रस्तुत करना होगा।
४. शासी नियम की बैठकों का लियोगत आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
५. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिविद्यम फ्रं. २८ के तहत पूर्ण कर उनकी सूती ०१ जुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय  
प्रस्तुत करनी होगी।
६. तिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश माल्य जही किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधक का होगा।
७. रांचीन विद्यावाक संस्था व उक्त शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा कस्बाए जाने वाले निरीक्षण  
पाई गई कमियों की सूचना नियमानुसार संस्था तथा उक्त शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उक्ते विरेशानुसार आगामी कार्यवाय  
चीज़ों। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
८. जिन महाविद्यालय ने कालेज कोड २४ के तहत प्रावार्यशिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा नियमित समय सीमा में संबद्ध  
शुल्क जगा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
९. किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कठीनी अविभाजितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः विस्तृत भाजा जाएगा।

आदेशानुसार,

उप-कुलसंचिव अकादमी  
भोपाल, दिनांक 8-6-17

क्रमांक २४८१/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

१. आरुक्त, उक्त शिक्षा विभाग, रांचालनालय संलग्न भवन भोपाल
२. क्लीन रांचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मार्ग भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
३. उपरायिक उक्त शिक्षा विभाग नगर पालिका भवन भवन भोपाल
४. उपकुलसंचिव/गोपनीय परीक्षा बंकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल
५. कुलपति/कुलसंचिव के विज्ञा सहायक के गांधी से सूचनार्थी।
६. रेडियोइंट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

राहा-कुलसंचिव अकादमी



संबद्धता की निरन्तरता

सत्र 2017-18

## बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक २५६/ अकादमी/संबद्धता/2017

भोपाल, दिनांक ०९-६-१८

प्रति,

**PRINCIPAL / DIRECTOR,**  
**NAVEEN SWAMI VIVEKANAND B.ED. COLLEGE,**  
**BARKHEDI KALA POST SURAJ NAGAR,**  
**NEELBAD ROAD, BHOPAL-462044**

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की निरन्तरता सत्र 2017-18.

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधित पत्र क्रमांक: १६४९८७ दिनांक: १७-०१-२०१६

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की डेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: ०५-०५-२०१७ को जारी सूची क्रमांक: ५०.

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक ०८.०५.२०१७ में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ की धारा १५(४) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपर्यन्त आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई निरन्तरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

१. बी०एड० १०० छात्र संख्या

शर्तेः-

१. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरन्तरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
२. विश्वविद्यालय के परिनियम क्र. २७ एवं २८ तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक ५,६ एवं ७ का पालन सुनिश्चित करना होगा।
३. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट रो सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
४. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
५. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिनियम क्र. २८ के तहत पूर्ण कर उनकी सूची ०१ जुलाई २०१७ तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत कर्नी होगी।
६. बिला संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश माल्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
७. संबद्धित नियमक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले लिंगाणि गैंग पाई गई कमियों की सूचना नियमक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके नियंत्रणानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
८. जिल महाविद्यालय ने कालेज कोड २८ के तहत प्राचार्यशिक्षकों की नियुक्ति बही की है तथा नियार्थित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जगा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
९. किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अविळिंगता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः विरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार,


  
उम्मीदवाला अकादमी

०९-भोपाल, दिनांक ०९-६-१८

पृ०क्रमांक २५६/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

१. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय संतपुड़ा भवन भोपाल।
२. क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
३. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय घल्लम भवन भोपाल
४. उपकुलसचिव/गोपकीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
५. वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

  
राहा-कुलसचिव, अकादमी



2448

## बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक

/अकादमी/संबद्धता/2017

भोपाल, दिनांक

प्रति:

12.6.2017

PRINCIPAL / DIRECTOR,  
 VIDHYAPEETH INSTITUTE OF EDUCATION,  
 PLOT NO. - 903/769/3/4/5, BYPASS,  
 VILLAGE - KHJURI KALAN P.O - PIPLANI, TEHSIL -  
 HUZUR, DIST. - BHOPAL MADHYA PRADESH

विषय:- यत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की निरंतरता सत्र 2017-18.

सद्विवेचन:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधित पत्र क्रमांक: 136911 दिनांक: 26/5/15

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: 05-05-2017 को जारी सूची क्रमांक:- 400.

मानोदय,

विद्या परिषद की स्थाई रागिति की बैठक दिनांक 08.05.2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की अस्थाई निरंतरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. दी0एड0 100 छत्र संख्या

शर्तेः-

- आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरंतरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
- विश्वविद्यालय के परिनियम क्र. 27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अक्षमावधि क्रमांक 5,6 एवं 7 का पालन युनिशन करना होगा।
- गहाविद्यालय का आध-व्याय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
- शारी विकाय की बैठकों का विवित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
- शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिनियम क्र. 28 के तहत पूर्ण कर उनकी सूची 01 जुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
- विना संबद्धता के किसी भी छत्र वा प्रवेश गान्धी वर्षी किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
- संबंधित नियामक संस्था व उक्त शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले नियोजन में पाई गई कमियों की सूचना नियामक संस्था तथा उक्त शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके विवेशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- जिन महाविद्यालय जे कालेज कोड 28 के तहत प्रावार्य शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा विधीनिरीत समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन गहाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
- किसी भी रत्त पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियमितता पाए जाने पर वह आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार,

उप-कुलसंचिव अकादमी

भोपाल, दिनांक 12.6.2017

2499

पृष्ठक्रमांक /अकादमी/संबद्धता/2017



प्रतिलिपि:-

- आयुक्त, उक्त शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल।
- कैशीय रांचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
- उपसंचिव उक्त शिक्षा विभाग भ.प्र. शायन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
- उपकुलसंचिव/गोपनीय/परीक्षा विभाग बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
- कुलपति/कुलसंचिव के गिरी सहायक के माध्यम से सूचनार्थी।

राजा कुलसंचिव, अकादमी



## बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक २५७६/अकादमी/संबद्धता/2017

भोपाल, दिनांक ८-६-१७

प्रति,

**PRINCIPAL / DIRECTOR**  
**IES COLLEGE OF EDUCATION,**  
**SURVEY NO: 322, 323, 324/2, VILLAGE : KALKHEDA,**  
**STREET/ROAD : RATIBAD ROAD, ALUKA/MANDAL : HAZUR,**  
**TOWN/CITY : BHOPAL, DISTRICT : BHOPAL-462044**

विषय:- बी०एस-सी०एड० सत्र 2017-18 की अस्थाई संबद्धता.

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का पत्र क्रमांक: 185231 दिनांक: 04-05-2017.

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: 12-05-2017 को जारी सूची क्रमांक: 217.

गहोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 25.05.2017 में की गई अबुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुगोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित विभागित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है

1. बी०एस-सी०एड० चार वर्षीय 100 छात्र संख्या

शर्तों:-

- आगामी सत्र 2018-19 की अस्थाई संबद्धता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
- विश्वविद्यालय के परिनियम क्र. 27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक 5, 6 एवं 7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- महाविद्यालय का आय-क्षय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
- शासी नियम की बैठकों का वियामित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
- शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिनियम क्र. 28 के तहत पूर्ण कर उनकी सूची ०। जुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
- विद्या संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
- संबंधित वियामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले विशिष्ट पाइ गई कमियों की सूचना वियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- जिन महाविद्यालय ने कालेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा विधारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क नमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
- फिरी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कटी/अविवक्तिता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार,

  
अधिकुलसचिव अकादमी

भोपाल, दिनांक ८-६-१७

पृ०क्रमांक २५७७/अकादमी/संबद्धता/2017



प्रतिलिपि:-

- आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, राज्यालयालय रातपुडा भवन भोपाल।
- कैन्त्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, गाजस मध्य, श्यामला हिल्स, भोपाल।
- उपकुलसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
- उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
- कुलपति/कुलसचिव के निजी दाहायक के नाध्यन से यूधनार्थ।

  
लहा-कुलसचिव, अकादमी



## बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक २२२/अकादमी/संबद्धता/2017

भोपाल, दिनांक ०३/०६/२०१७

प्रति,

**PRINCIPAL / DIRECTOR,  
INSTITUTE OF ADVANCED STUDY IN EDUCATION  
(I.A.S.E.), GOVT. COLLEGE OF EDUCATION, P.G.B.T.  
CAMPUS, BERASIA ROAD, BHOPAL 462038 MADHYA  
PRADESH**

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की विरचनरता सत्र 2017-18.

शब्दरूप:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधित पत्र क्रमांक: १५२३७२ दिनांक: ०७-९-१५.  
(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: 05-05-2017 को जारी सूची क्रमांक: ०८.

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 08.05.2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित लिमांकित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई विरचनरता लिमांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

१. वी०ए० १५० छात्र संख्या

शर्तों:-

- आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की विरचनरता के लिये विद्यालय आवेदन करना होगा।
- विश्वविद्यालय के परिवियम क्र. २७ एवं २४ तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक ५,६ एवं ७ का पालन सुविश्वत करना होगा।
- महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित कर्या कर प्रस्तुत करना होगा।
- शासी विकाय की बैठकों का वियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
- शिक्षकों की वियुक्ति विश्वविद्यालय के परिवियम क्र. २६ के तहत पूर्ण कर उनकी सूची ०१ जुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
- विना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश माल्य जहाँ किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
- संबंधित विद्यामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वाया दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वाया करवाए जाने वाले विरीक्षण में पाई गई कमियों की दूरवा विद्यामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके विरेशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वाया शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अविवार्य होगा।
- जिन महाविद्यालय ने कालेज कोड २८ के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की वियुक्ति नहीं की है तथा वियारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा लहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
- किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अविवितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः विरस्त गाना जाएगा।

आदेशानुसार,

उप-कुलसचिव अकादमी

भोपाल, दिनांक ०३/०६/२०१८

२२२  
प०क्रमांक  
प्रतिलिपि:-  
विश्वविद्यालय संबद्धता/2017

- आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल।
- क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
- उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग न.प्र. शासन मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल।
- उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
- कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।
- वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।

## बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक 03/06/17

क्रमांक २२२५/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रति,

**PRINCIPAL / DIRECTOR,  
SAFIA COLLEGE OF SCIENCE & EDUCATION,  
SAFIA COLLEGE ROAD, BHOPAL - 462001 MADHYA PRADESH**

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की विरतता सत्र 2017-18.

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की विरतता सत्र 2017-18.

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधित पत्र क्रमांक: १४६/०५/१ दिनांक: ३१.५.२०१८

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: 05-05-2017 को जारी सूची

क्रमांक: १।

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 08.05.2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई विरतता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. बी०ए० 100 सात्र संख्या

शर्तों-

- आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की विरतता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
- विश्वविद्यालय के परिवियम क्र. 27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक 5, 6 एवं 7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- महाविद्यालय का आप-व्यव पत्रक घार्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
- शारीर विकास की बैल्यों का नियमित आयोजन एवं विवरण याहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
- शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिवियम क्र. 28 के ठहत पूर्ण कर उनकी सूची 01 जुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय ने प्रस्तुत करनी होगी।
- विना रांगदारी की छत्र का प्रवेश माल्य नहीं किया जावेगा तथा उत्तरांक संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
- संबंधित नियमक संख्या व उसी शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा कर्तव्य जाने वाले विरीक्षण में पाई गई कमियों की सूचना नियमक संख्या तथा उसी शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके विरेशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए नहाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक रात्राह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- जिन महाविद्यालय ने कालेज क्रोड 28 के ठहत प्रावार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा विधीनिष्ठ समय सीमा ते संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
- किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अविष्यमितता पाए जाने पर यह आवेदन स्वतः विरक्त नाजा जाएगा।

आदेशानुसार,

कुलसचिव अकादमी  
भोपाल, दिनांक 03/06/17

9225  
पू०क्रमांक  
अकादमी संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

- आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल।
- क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस अवल, श्यामला हिल्स, भोपाल।
- उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय बलभ भवन भोपाल।
- उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
- कुलपति/कुलसचिव के विजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।
- वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।

सहा-कुलसचिव अकादमी

# बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 2226/अकादमी/संबद्धता/2017

भोपाल, दिनांक ०६/०६/१८

लेटर,

**PRINCIPAL / DIRECTOR,  
SRI SATYA SAI COLLEGE FOR WOMEN,  
H.E. HOSPITAL, HABIBGANJ, BHOPAL - 462024  
MADHYA PRADESH**

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की निरंतरता सत्र 2017-18.

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधित पत्र क्रमांक: 148628 दिनांक: 21/5/18.

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: 05-05-2017 को जारी सूची क्रमांक: ३१.

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 08.05.2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदल अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित विभागों की संबद्धता की अस्थाई निरंतरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. दी०ए० 100 छात्र संख्या

शर्तों:-

- आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरंतरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
- विश्वविद्यालय के परिनियम क्र. 27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक 5,6 एवं 7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- महाविद्यालय का आर्य-व्यवस्था पत्रक थार्ड एकाउंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
- शासी विकाय की बैठकों का वियामित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
- शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिनियम क्र. 28 के तहत पूर्ण कर उनकी सूची 01 जुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
- विवा संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश नाब्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
- संबंधित विभागक संस्था व उक्त शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले नियीकण वे पाई गई कमियों की सूचना विभागक संस्था तथा उक्त शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके नियमानुसार आयामी कार्यवाली की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अविवार्य होगा।
- जिव महाविद्यालय ने कालेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति जही की है तथा विधीरित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उल भाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करवा संभव जही होगा।
- किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अवियागिता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः विरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार,

उप-कुलसिविठ अकादमी

भोपाल, दिनांक ०६/०६/१८

2227 पृ०क्रमांक  
प्रतिलिपि:-  
अकादमी/संबद्धता/2017



पृ०क्रमांक

प्रतिलिपि:-

- आयुक्त, उक्त शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल।
- क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, गाँधी भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
- उपसचिव उक्त शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल।
- उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
- कुलपति/कुलसचिव के नियी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।
- वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।

सहा-कुलसचिव अकादमी



19

संबद्धता की निरन्तरता  
सत्र 2017-18

## बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 2326 /अकादमी/संबद्धता/2017

भोपाल, दिनांक ८३/५/२०१८

प्रति,

PRINCIPAL / DIRECTOR,  
THE BHOPAL SCHOOL OF SOCIAL  
SCIENCES, HABIBGANJ NAKA, BHOPAL 462024  
MADHYA PRADESH

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की निरन्तरता सत्र 2017-18.

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधित पत्र क्रमांक: 133243 दिनांक: 26/5/15.

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: 05-05-2017 को जारी सूची क्रमांक:- 302.

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 08.05.2017 में की गई अबुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अबुशंसा परिषद आपके महाविद्यालय में संचालित नियमांकित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई निरन्तरता नियमांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. बी०एड० — *56* छात्र संख्या

शर्तों:-

- आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरन्तरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
- विश्वविद्यालय के परिनियम क्र. 27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक 5, 6 एवं 7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- महाविद्यालय का आट-क्षय पत्रक घार्ट्ट एकाउंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
- शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
- शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिनियम क्र. 28 के तहत पूर्ण कर उनकी सूची 01 छुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत करनी होगी।
- बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश माल्य जहाँ किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
- संबंधित नियाग्रक संस्था व उक्त शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले नियमित में पाई गई कमियों की सूचना नियाग्रक संस्था तथा उक्त शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उक्त विद्यालय आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- जिब महाविद्यालय ने कालेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा नियाग्रित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
- किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कगी/अनियमितता पाए जाए पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार,

*[Signature]*  
उप-कुलसंचिव अकादमी

भोपाल, दिनांक ८३/५/२०१८

पृ० क्रमांक 2327/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

- आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल।
- क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, माल्य भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
- उपसचिव उक्त शिक्षा विभाग भ.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
- उपकुलसंचिव/जोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
- कुलपति/कुलसंचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।
- वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।

*[Signature]*  
सहा.-कुलसंचिव, अकादमी